۹.

#### हरियाणा सरकार

#### उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

#### अधिसूचना

#### दिनांक 12 अगस्त, 2014

संख्या सा. का. नि. 34/संवि/अनु. 309/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

#### भाग-1 सामान्य

संक्षिप्त नाम। 1. ये नियम हरियाणा उद्योग तथा वाणिर्ज्य विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।

परिभाषाए ।

- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - (क) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;
  - (ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति से अन्यथा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा की गई हो ;
  - (ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक या महानिदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा;
  - (घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार ;
  - (ड) 'संस्था' से अभिप्राय है ---
    - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई भी संस्था ; या
    - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
  - (च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है :---
    - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
    - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा
  - (छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (ग्रुप ख) सेवा।

## भाग—II सेवा में भर्ती

सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद होंगे : 3.

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूपि ।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो. –

सेवा में नियक्त जम्मीदवारों की राष्टीयता अधिवास तथा चरित्र ।

(क) भारत का नागरिक : या

(ख) नेपाल की प्रजाः या

(ग) भूटान की प्रजाः

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग), से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग या बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण--पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली—भांति परिचित हो, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियक्त नहीं किया आय। जायेगा जो आयोग या किसी अन्य प्रांधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयू से कम या चालीस वर्ष की आयू से अधिक आयु का हो :

परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गौ तथा भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले में आयू की ढील सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित जारी की गई हिदायतों के अनुसार दी जाएगी।

सेवा में पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना 3 में वर्णित किए नियक्ति गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।"

प्राधिकारी।

अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा तब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव संबंधी अर्हताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

निर्र्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति :--

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्थानीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुझेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग ।

- 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी ;-
  - (क) सहायक निदेशक (औद्योगिक प्रगति) की दशा मे;—
    - (i) 50 प्रतिशत औद्योगिक विस्तार अधिकारियों (मुख्यालय), औद्योगिक विस्तार अधिकारियों (जिला उद्योग केन्द्र), में से पदोन्नति द्वारा : तथा
    - (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या
    - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
    - (ख) सहायक निदेशक (परियोजना) की दशा में;--
      - (i) 50 प्रतिशत औद्योगिक विस्तार अधिकारियों (मुख्यालय), औद्योगिक
      - विस्तार अधिकारियों (जिला उद्योग केन्द्र) में से पदोन्नति द्वारा; तथा
      - (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
      - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (ग) सहायक निदेशक (साख्यिकी) की दशा में:--
  - 50 प्रतिशत औद्योगिक विस्तार अधिकारियों (मुख्यालय), औद्योगिक (i) विस्तार अधिकारियों (जिला उद्योग केन्द्र), में से पदोन्नति द्वाराः तथा
  - (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा : या
  - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिय्क्ति द्वारा,
- (घ) सहायक निदेशक (तकनीकी) की दशा में:--
  - (i) 50 प्रतिशत तकनीकी सहायक (मकैनिकल), तकनीकी सहायक (इलैक्टिकल) तथा आप्रेटर ग्रेड-1 में से पदोन्नति द्वारा; तथा
  - (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
  - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियंक्ति द्वारा:
- (ड) सहायक निदेशक (वस्त्र) की दशा में;--
  - (i) तकनीकी सहायक, (वस्त्र) में से पदोन्नति द्वारा, या
  - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या :
    - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थांनान्तरण अथवा प्रतिनियंक्ति द्वारा;
- (च) सहायक निदेशक (रसायन) की दशा में;--
  - 50 प्रतिशत तकनीकी सहायकों (रसायन), तथा आप्रेटर गेड-1 (i) में से पदोन्नति द्वाराः तथा
  - (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
  - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (छ) सहायक निदेशक--एवं-निरीक्षक, बायलर की दशा में,--
  - (i) सीधी भर्ती द्वारा या
  - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ज) सहायक निदेशक (विधि) की दशा मे;-

(i) 75 प्रतिशत विधि सहायकों मे से पदोन्नलि द्वारा: तथा

- (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार या उनके उपक्रमों की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (झ) अधीक्षक मुख्यालय की दशा में,---
  - (i) उप--अधीक्षकों मुख्यालय में से पदोन्नति द्वारा : या
  - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ज) अधीक्षक, जिला उद्योग केन्द्रों की दशा में,--
  - (i) उप-अधीक्षकों (जिला उद्योग केन्द्रों) में से पदोन्नति द्वारा; या
  - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति
     द्वारा;

(ट) निजी सचिव की दशा में,---

- (i) निजी सहायको में से पदोन्नति द्वारा : या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी / कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- स्पष्टीकरण, -- यदि जहां पदों पर भर्ती पदोन्नति और सीधी भर्ती के लिए प्रतिशत्ता वर्णित करते हुए उपबंधित की गई है और पदों की कुल संख्या शेष है, तो शेष पद पदोन्नति कोटा के लिए होंगी और शेष पद समान रूप से वितरित किये जाएंगे।

9.2 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो सभी पदोन्नतियां योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्प की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तुः--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

परिवीक्षा ।

- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत-परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह, —

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो; उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो ः
  - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
  - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करें ;
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, --
  - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोपजनक रहा हो तो,
    - (i) ऐसे व्यक्ति को. यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो. तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
    - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसको स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है : या
    - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है : या
  - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो,

तो.—

æ.

1H C\*

 यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से हटा सकता है, तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्वपद पर परिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति मे कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करें , या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार, निश्चित की जायेगी

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता कम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जायेगी,---

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगाः;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ऐसी नियुक्ति में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता, ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किये गये थे, और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) उच्च पदों पर पदोन्नति निदेशक द्वारा मैरिट एवं वरिष्ठता के आधार पर विचारी जाएगी। मैरिट एवं वरिष्ठता वार्षिक गोपनिय रिपोर्ट (70 प्रतिशत महत्व) तथा वरिष्ठता (30 प्रतिशत महत्व) होगी, ग्रुप ख के सभी पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी का अध्यक्ष होगा।

पदोन्नति

÷Υ.

ज्येष्ठता ।

## 12. (2) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस (70 प्रतिशत महत्व)

उम्मीदवार की मैरिट उसके द्वारा अर्जित की गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के आधार पर प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। कुल 100 अंकों मे से वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के 70 प्रतिशत महत्व अंकों के अधिभार की गंणना निम्न प्रकार से होगी।

क	प्रकृष्ट	८ अंक
ख	बहुत अच्छा	7 अंक
म	अच्छा	4 अंक
ध	औसत	२ अंक तथा
ভ	औसत के नीचे	0 अंक

#### व्याख्यां

(i) यदि कोई कर्मचारी अपनी सभी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस प्रकृष्ट प्राप्त करता है तथा अपने खाते में 70 अंक प्राप्त करता है जो कि अधिकतम योग्यता है 80 अंकों की इस अधिकतम योग्यता को 70 प्रतिशत माना जाएगा। इसी प्रकार किसी कर्मचारी द्वारा 80 से कम अंक प्राप्त करने की दशा में अनुपात कम होगा। अंको की गणना का सुत्र निम्न प्रकार से होगा:

पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के अंको का योग x 70=अंक दिए जाने है

80

(ii) यदि कोई कर्मचारी अपनी अन्तिम पदोन्नति की तिथि से 10 वर्ष सेवा पूर्ण करता है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के पैरामीटर के अनुसार उसकी 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस का कुल स्कोर 70 अंक होगा। दूसरी ओर यदि कोई कर्मचारी 10 वर्षों से कम यदि नियुक्ति के बाद 7 वर्ष की सेवा यदि पूर्ण करता है तो उसकी सभी सात वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस को विचारा जाएगा और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के पैरामीटर के अनुसार उसको 70 अंकों में से अंक प्रदान किए जाएंगे।

पिछले 7 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टस के अंकों का योग x 70=अंक दिए जाने है

7 x 8

3. वरिष्ठता (30 अंक)

कोई व्यक्ति जो पदोन्नति के लिए न्यूनतम वर्षों की योग्य सेवा ही पूर्ण करता है तो उसे वरिष्ठता के लिए अंक नहीं दिया जाएगा तथा इसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष की योग्य सेवा के लिए 3 अंक जोकि अधिकतम 30 अंक होगे। 6 मास से ज्यादा को एक वर्ष माना जाएगा तथा कम समय को अर्थहीन माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति जोकि वार्षिक गोपनीय रिपोंटस / वरिष्ठता तथा विभागीय पदोन्नति समिति के 100 अंकों में से 60 अंकों से कम अंक प्राप्त करता है तो पदोन्नति नहीं की जाएगी।

टिप्पणीः— किसी उम्मीदवार द्वारा उक्त कराईटैरियां पूर्ण करने उपरान्त पदोन्नति के लिए पात्र पाए जाने की दशा में फीडर काडर की ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

का 13. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,-

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो या गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना, (खंड) (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए अथवा बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाये।

15.1 अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलो में, सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियां का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां । लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन

सेवा करने का दायित्व।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपील ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में विनिर्दिष्ट हैं।

 हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन पारित आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या टीका लगवाना। साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे. पुनः टीका लगवायेगा ।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा राजनिष्ठा की यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्य निष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की <sup>शपथ |</sup> अपेक्षा की जायेगी |

18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबच्ध में ढील देना आवश्यक या ढील देने की समीचीन हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या शक्ति। प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

19. इन नियमों में किसी बात, के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति विशेष उपबन्ध। आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

20. इन नियमों में दी कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर आरक्षण। जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशत्ता किसी भी समय पंचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

21. हरियाणा उद्योग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1993, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं: निरसन तथा

व्यावृत्ति ।

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी !

## परिशिष्ट 'क'

[देखिये नियम 3]

पदों की संख्या

क्रम संख्या	पद का नाम	स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक निदेशक (औद्योगिक प्रगति)	23	0	-23	9300-34800+4600 रुपये ग्रेड वेतन
. 2.	सहायक निदेशक (परियोजना)	4	0	4	9300–34800+4600 रुपये ग्रेड वेतन
3.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	11	0	11 1	9300—34800+4600 रुपये ग्रेड वेतन
4.	सहायक निदेशक (तकनीकी)	8	0 -	8	9300-34800+4600 रुपये ग्रेड वेतन
5.	सहायक निदेशक (वस्त्र)	1	0	1	9300—34800+4600 रुपये ग्रेड वेतन
6.	सहायक निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)	0	2	2	9300-34800+4600 रुपये ग्रेड वेतन
7.	सहायक निदेशक एंव निरीक्षक बायलरज	2	3	5	9300-34800+4600 रुपये ग्रेड वेतन
8.	सहायक निदेशक (विधि)	4	0	4	930034800+4600 रुपये ग्रेड वेतन
9.	अधीक्षक (मुख्यालय)	08	0	8	930034800+4200 रुपये ग्रेड वेतन
10.	अधीक्षक (जिला उद्योग केन्द्र)	13	0	13	930034800+4200 रुपये ग्रेड वेतन
11.	निजी सचिव	1	0	1	930034800++4200 रुपये ग्रेड वेतन
	कुल	75	5	80	

## परिशिष्ट 'ख' (देखिये नियम ७)

		(दाखय ानयम 7)	
क्रम संख्या	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताए तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताए तथा अनुमव, यदि कोई हो
1	2	3	. 4
1	सहायक निदेशक (औद्योगिक प्रगति)	<ul> <li>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / वाणिज्य / व्यवसाय प्रशासन में कम से कम द्वितीय श्रेणी सहित स्नातकोतर या अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्तनातक डिग्री; तथा</li> <li>(ii) किसी लघु, मध्यम, बड़े उद्योग / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रम / विभाग में विनिर्माण सैक्टर में पर्यवेक्षी स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव; तथा</li> <li>(iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान।</li> </ul>	<ul> <li>पदोन्नति द्वारा : औद्योगिक विस्तार अधिकारी (मुख्यालय)/औद्योगिक विस्तार अधिकारी (जिला उद्योग केन्द्र) के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;</li> <li>स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से सहायक निदेशक (औद्योगिक प्रगति) के पद पर हो; तथा</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;</li> </ul>
2	सहायक निदेशक (परियोजना)	<ul> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी मे स्नातक डिग्री सहित किसी लघु, मध्यम, बड़े उद्योग / अर्ध सरकारी/ सरकारी उपक्रम/ विभाग में विनिर्माण सैक्टर में पर्यवेक्षी स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव ; तथ्या</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ; ज्ञान ;</li> </ul>	पदोन्नति द्वारा :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (नान मैडिकल) या अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा ∕ डिग्री ; तथा (ii) औद्योगिक विस्तार अधिकारी (मुख्यालय), औद्योगिक विस्तार अधिकारी (जिला उधोग केन्द्र), के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण ⁄ प्रतिनियुक्ति द्वाराः— (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से सहायक निदेशक (परियोजना) के पद पर हो ; तथा

			(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
3	सहायक निदेशक (साख्यिकी)	<ul> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय/संस्था से अर्थशास्त्र/वाणिज्य/गणित/ साख्यिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी सहित स्नातकोत्तर डिग्री या चार्टड अकाउटेंट या कम्पनी सचिव या चार्टेड वित्तीय विशलेष्क (सी०एफ०ए०) सहित किसी लघु, मध्यम, बडे उद्योग/अर्ध सरकारी/सरकारी उपक्रम/ विभाग मे विनिर्माण सैक्टर में पर्यवेक्षी स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव ; तथा</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;</li> </ul>	<ul> <li>पदोन्नति द्वारा :</li> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थ शास्त्र / वाणिज्य / सांख्यिकी / गाणित में स्नातक डिग्री; तथा</li> <li>(ii) औद्योगिक विस्तार अधिकारी (मुख्यालय) / औद्योगिक विस्तार अधिकारी (जिला उद्योग केन्द्र) के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:</li> <li>(i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पद पर हो ; तथा</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;</li> </ul>
4	सहायक निदेशक (तकनीकी)	<ul> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय/संस्था से विद्युत/ मकैनिकल / इलैक्ट्रोनिक्स/ अभियान्त्रिकी या प्रोद्योगिकी मे प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री सहित किसी लघु, मध्यम या बड़े उद्योग/ अर्ध सरकारी/सरकारी उपक्रम /विभाग में विनिर्माण सेक्टर मे पर्यवेक्षी स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव; तथा</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान ;</li> </ul>	पदोन्नति द्वारा : () बी.एस.सी. (नान मैडिकल) या इलैक्ट्रोनिक्स आभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/डिग्री ; तथा (ii) तकनीकी सहायक (मकैनिकल), या तकनीकी सहायक (इलैक्ट्रिक्ल) या आप्रेटर गेडा के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा: () उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से सहायक निदेशक (तकनीकी) के पद पर हो ; तथा 

1406

•

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 12, 2014

(SRVN. 21, 1936 SAKA)

5	सहायक निदेशक (वस्त्र)	<ul> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालिय से वस्त्र अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री सहित किसी लघु, मध्यम या बड़े उद्योग / अर्ध सरकारी/ सरकारी उपक्रम/विभाग में विनिर्माण सैक्टर में पर्यवेक्षी स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव; तथा</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।</li> </ul>	पदोन्नति द्वारा :- तकनीकी सहायक (वस्त्र) के रुप में आठ वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:- (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से सहायक निदेशक (वस्त्र) के पद पर हो ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;
6	सहायक निदेशक (रसायन)	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से रसायन अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री सहित किसी लघु, मध्यम या बड़े उद्योग / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रम / विभाग में विनिर्माण सैक्टर में पर्यवेक्षी स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान।	(i) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में दिन्ही / संस्कृत का जान
7	सहायक निदेशक एवं निरीक्षक बायलरस	<ul> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यान्त्रिक या छत्पादन या पावर प्लांट या धातुक्रम अभियान्त्रिकी में रनातक डिग्री या समकक्ष; तथा</li> <li>(ii) बायलरों के डिजाईन, निर्माण परिनिर्माण, परिचालन, परिक्षण, रिपेयर, रखरखाव या बायलर अधिनियम, 1923 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में लागू करण में</li> </ul>	<ul> <li>स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वाराः</li> <li>(i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से सहायक निदेशक एवं निरीक्षक बायलरस के पद पर हो ; तथा</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;</li> </ul>

.

		तकनीकी क्रामिक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान ;	·
8	सहायक निदेशक (विधि)	<ul> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में विधि स्नातक; तथा</li> <li>(ii) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और भारतीय भागीधारी अधिनियम, 1932 से सम्बन्धित मामलों के निपटान में सरकारी संगठन / सरकारी अभिकर्रणों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; तथा</li> </ul>	पदोन्नति द्वारा : विधि सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से सहायक निदेशक (विधि) के पद पर हो ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;
	-	(iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान ;	
9	अधोक्षक (मुख्यालय)		पदोन्नति द्वारा :- उप अधीक्षक (मुख्यालय) के रूप में एक वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से अधीक्षक के पद पर हो ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
10.	अधीक्षक (जिला उद्योग केन्द्र)		पदोन्नति द्वारा : उप अधीक्षक (जिला उद्योग केन्द्र) के रूप में एक वर्ष का अनुभव; रधानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा: (i) उम्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से अधीक्षक के पद पर हो ; तथा

		(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
11.	निजी सचिव	पदोन्नति द्वारा :
		निजी सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव
Į		स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वाराः-
		(i) उग्मीदवार पहले से ही कम से कम एक वर्ष से निजी सचिव के पद पर हो ; तथा
		(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;

•

<u></u> -	परिशिष्ट ग				
		[देन	खेये नियम 15 (1)]		
क्रम संख्या	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप सशक्त प्राधिकारी	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक निदेशक (औद्योगिक प्रोत्साहन)	सरकार द्वारा	लघु शास्तियाँ (i) वैयक्तिक फाइल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी :	निदेशक	सरकार
2.	सहायक निदेशक (परियोजना)		(ii) परिनिन्दा : (iii) पदोन्नति रोकना;		
3.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)		(iv) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं,		
4.	सहायक निदेशक (तकनीकी)		जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व सरकार के पास है या राज्य विधान–मंडल		
5.	सहायक निदेशक (वस्त्र)		के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालिय को, धन सम्बन्धी हानि की पूरी		
6.	सहायक निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)		या उसके भाग की, वेतन से वसूली; (V) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;	सरकार	
7.	सहायक निदेशक एंव निरीक्षक बायलरज		बड़ी शस्तियां (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना। (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के		
8.	सहायक निदेशक (विधि)		लिये समयमान में निम्नतर अवस्था पर प्रक्रम पर अवनति, ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या	-	

1410

-

.

(SRVN. 21, 1936 SAKA)				
	अधीक्षक	सरकारी कर्मचारी ऐसी		
9.	(मुख्यालय)	अवनति की अवधि के		
		दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित		
	and and the	करेगा या नहीं और क्या		
10	अधीक्षक (जिला,	ऐसी अवधि की समाप्ति		
10	उद्योग केन्द्र) 🗤	पर, ऐसी अवनति उसकी		
		भावी वेतन की वृद्धियों को		
		स्थगित करने का प्रभाव		
11	निजी सचिव	रखेगी या नहीं ;		
		(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड		
		पद या सेवा पर ऐसी		
		अवनति, जो सामान्यतः		
		सरकारी कर्मचारी के समय		
		वेतन वेतनमान, ग्रेड, पद या		
	1	सेवा पर, जिससे वह अवनत		
		किया गया था पदोन्नति के		
		लिये साधारणतयः रोक		
		होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद		
		अथवा सेवा से सरकारी		
		कर्मचारी अवनत किया गया		
		था, उस पर बहाली		
		सम्बन्धित और उसकी		
		ज्येष्ठता प्रत्यावर्तन तथा		
		उस ग्रेड पद या सेवा पर		
		वेतन के बारे में, शर्तों		
		सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों		
		के साथ या उसके बिना		
		होगा:		
		(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ;		
	1			
		(x) सेवा से हटाया जाना, जो		
		सरकार के अधीन भावी		
		नियोजन के लिये निरर्हता		
		नहीं होगी ;		
	1	(xi) सेवा मे पदच्युति, जो		
		सरकार के अधीन भावी		
		नियोजन के लिये		
		सामान्यता निरईता नहीं		
	1	होगी।		

-

\_ \_ . . .

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 15 (2)] आदेश आदेश का स्वरूप पद का नाम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी 3 4 2 सहायक निर्देशक (1) पेन्शन को शासित करने वाले नियमों सरकार (औद्योगिक प्रगति) के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेन्शन की राशि में कमी सहायक निदेशक करना या रोकना : (परियोजना (ii) उसको अधिवार्षिता के लिये नियत सहायक निदेशक आयु का होने से अन्यथा नियुक्ति की (साख्यिकी) समाप्ति । सहायक निदेशक. (तकनीकी) सहायक निदेशक (वस्त्र) सहायक निदेशक (रसायन अभियांत्रिकी)

> वाई० एस० मलिक, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

अपील

5

सरकार

प्राधिकारी

1412

क्रम

सं0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.

सहायक निदेशक एव

निरीक्षक (बायलरज)

सहायक निदेशक

अधीक्षक (मुख्यालय)

अधीक्षक (जिला

उद्योग केन्द्र) निजी सचिव

(विधि)

[Authorised English Translation]

#### HARYANA GOVERNMENT

#### INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

#### Notification

The 12th August, 2014

No. G.S.R. 34/Const./Art./309/2014.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Industries and Commerce (Group B) Service, namely:---

#### PART 1-GENERAL

t. These rules may be called the Haryana Industries and Commerce Short title. (Group B) Service Rules, 2014.

In these rules, unless the context otherwise requires:-2.

Definitions.

- (a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an officer already in the service of the Government of India or any State Government:
- (c) "Director" means the Director or Director General of Industries & Commerce, Haryana, as appointed by the Government;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "Institution" means,
  - any institution established by law in force in the State of (i) Haryana; or
  - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
  - (f) "Recognized University" means,---
    - (i) any university incorporated by law in India; or
    - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules.
- "Service" means the Haryana Industries and Commerce (g) (Group B) Service;

#### PART II - RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is :--

(a) Citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal/ Academic Officer of the University, College. School or Institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to the service by direct recruitment who is less than twenty one years or more than forty years of age on the last date of submission of application to the recruiting authority:

Provided that in the case of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Ex-servicemen, the upper age limit shall be such, as fixed by the Government.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the authority mentioned in column 3 of Appendix C to these rules.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of requisite qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Nationality, Domicile and Character of candidates, recruited to Service.

Number and

character of

posts.

Age.

Appointing Authority.

Qualifications.

Provided that where sufficient number of candidates belonging to the scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and differently-abled candidates possessing the prescribed requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them by direct recruitment, the Commission or any other recruiting authority may relax the qualifications regarding experience to the extent of 50 percent after recording the reasons for doing so in writing.

- 8. No person-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9.1 Recruitment to the Service shall be made,—

Mode of recruitment.

#### (a) In the case of Assistant Director (Industrial Promotion),

- (i) 50% by promotion from amongst the Industrial Extension Officers(Headquarter), Industrial Extension Officers (District Industries Centre); and
- (ii) 50% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

#### (b) In the case of Assistant Director (Projects),-

- (i) 50% by promotion from amongst Industrial Extension Officers(Headquarter). Industrial Extension Officers (District Industries Centre); and
- (ii) 50% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

#### (c) In the case of Assistant Director (Statistics),-

- (i) 50% by promotion from amongst the Industrial Extension Officers(Headquarter), Industrial Extension Officers (District Industries Centre); and
- (ii) 50% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

Disqualifications.

#### (d) In the case of Assistant Director (Technical),-

- (i) 50% by promotion from amongst the Technical Assistant (Mechanical), Technical Assistant (Electrical), and Operator Grade-1; and
- (ii) 50% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

#### (e) In the case of Assistant Director (Textile),-

- (i) by promotion from amongst the Technical Assistants (Textiles); or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

#### (f) In the case of Assistant Director (Chemical),-

- (i) 50% by promotion from amongst the Technical Assistant (Chemical) and Operator Grade-I; and
- (ii) 50% by Direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

#### (g) In the case of Assistant Director-cum-Inspector of Boilers,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

#### (h) In the case of Assistant Director (Legal),-

- (i) 75% by promotion from amongst Legal Assistants; and
- (ii) 25% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India or their undertakings.

#### (i) In the case of Superintendent (Headquarter);

- (i) by promotion from amongst Deputy Superintendent. (Headquarter); or
- (ii) by transfer or deputation of an Officer/Official already in service of any State Government or the Government of India.

#### (i) In the case of Superintendent (District Industries Centre);

- (i) by promotion from amongst Deputy Superintendent(District Industries Centre); or
- (ii) by transfer or deputation of an Officer/Official already in service of any State Government or the Government of India.

#### (k) In the case of Private Secretary;

- (i) by promotion from amongst Personal Assistants; or
- (ii) by transfer or deputation of an Officer/Official, already in service of any State Government or the Government of India.
- Explanation.- In case of posts where recruitment is provided by mentioning percentage for promotion and direct recruitment and the total number of posts are odd, then the odd post shall be for promotional quota and the balance posts shall be distributed equally.

All promotions unless otherwise provided, shall be made on  $(2)^{'}$ merit-cum-seniority basis and seniority alone shall not give any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on Probation. probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that -

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

> (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
  - (i) revert him to his former post;
  - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--

- (a) if the work or conduct has in its opinion been satisfactory,-
  - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
  - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
  - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
- (b) If his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—
  - (i) Dispense with his services, if appointed by direct recruitment or revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit, if appointed otherwise; or
  - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority *interse* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by the direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follow:—

> (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

- (b) a member appointed by promotion shall be Senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined, according to the Seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred: and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the scale of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Promotion to the higher post shall be considered through the Promotion. **12.** 1. Departmental Promotion Committee on merit-cum-seniority. The merit-cumseniority shall be determined on the basis of Annual Confidential Reports (70% weightage), Seniority (30 % weightage). Director shall be the Chairman of the Departmental Promotion committees for promotion to all Group B posts.

2. Annual Confidential Reports (ACRs) (70 % weightage) Merit of a person to be considered for promotion shall be based on points earned in the Annual Confidential Reports (ACRs). Of the total 100 points, weightage of Annual Confidential Reports shall be of 70 points and these points will be calculated as per following :---

(a)	Outstanding	= 8 points;
(b)	Very Good	= 7 points;
(c)	Good	= 4 points;
(d)	Average	= 2 points; and
(e)	Below Average	= 0 points.

#### **Illustrations:-**

An employee can earn all the 10 Annual Confidential Reports as (i) outstanding resulting into 70 marks to his credit which is the maximum cap. Therefore, this maximum possible earning of 80 points is treated equivalent to 70% weightage. Consequently, the points carned by an employee less than 80 points will be reduced proportionately. The formula for calculation of the points' shall be as under:-

ACR points earned during past 10 years x = 70 = Points to be awarded

(ii) In case an employee has completed 10 years of service since his last date of promotion, his total score on the ten years will be arrived at out of the 70 points on ACR parameter. On the other hand, if an employee has completed less than 10 years, say, 7 years since his last date of appointment, all his seven ACRs will be taken into account and his score on ACR parameter out of 70 points will be arrived at in the following manner:-

ACR points carned during past 7 years x 70 = Points to be awarded

Seniority (30 % weightage) 3.

A person who has just completed minimum qualifying number of years of service for promotion will be allowed zero point against seniority and 3 points for each year above the qualifying number of years of service on the feeder cadre shall be allowed subject to a maximum of 30 points. Period of more than 6 months shall be treated as one year while less than six months shall be ignored.

No person shall be allowed promotion to the next higher post if his overall score is less than 60 points out of 100 points on Annual Confidential Reports, Seniority and Assessment by the Departmental Promotion Committees.

In case of persons found fit for promotion after qualifying the above NOTE: criteria, the seniority of the feeder cadre will not be disturbed.

Liability to Serve,

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being so ordered to do by the appointing authority.

- (2) A member of the Service may also be deputed to serve under:--
  - a company, Association or a Body of individuals whether (i) incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or Local Authority within the State of Haryana;
  - (ii) the Central Government or a company, Association or a Body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
  - (iii) any other State Government, an International Organization, an Autonomous Body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any Organization or Body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter, be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law, for the time being in force made by the State Legislature.

**15.** (1) In matter relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2)The authority competent to pass an order under Clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 the Harvana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

16. Every member of the service shall get himself vaccinated and Vaccination. revaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of 17. Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by Law established.

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in order of appointment if it is deemed expedient to so.

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other Reservations. concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with order issued by the State Government from time to time:

Provided that the total percentage or reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

21. The Haryana Industries (Group B) Service Rules, 1993, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Pay, Leave Pension and other matters.

Discipline, Penalties and appeal.

Allegiance.

Power of relaxation.

Special provision.

Repeal and Savings.

## APPENDIX A

• •

## (See rule 3)

Serial Number	Designation of the posts	Nature of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1.	Assistant Director (Industrial Promotion)	23	0	23	9300-34800+4600 Grade pay
2.	Assistant Director (Projects)	4	0	4	9300-34800+4600 Grade pay
3.	Assistant Director (Statistics)	11	0	11	9300-34800+4600 Grade pay
4.	Assistant Director (Technical)	8	0	8	9300-34800+4600 Grade pay
5.	Assistant Director (Textile)	I	0	1	9300-34800+4600 Grade pay
6.	Assistant Director (Chemical Engineering)	0	2 *	2	9300-34800+4600 Grade pay
7.	Assistant Director- cum-Inspector of Boilers	2	3	5	9300-34800+4600 Grade pay
8.	Assistant Director(Legal)	4	0	4	9300-34800+4600 Grade pay
9.	Superintendent (Hqrs.)	8	0 ·	8	9300-34800+4200 Grade pay
10.	Superintendent (DIC)	13	0	13	9300-34800+4200 Grade pay
11.	Private Secretary at Headquarter	1	0	1	9300-34800+4200 Grade pay
	Total	75	5	80	

## APPENDIX B

## (See rule 7)

Serial	Description of	Academic qualification and	Academic qualification experience if
Number	posts	experience for direct recruitment	any for appointment other than by direct recruitment
1.	Assistant Director (Industrial Promotion)	<ul> <li>(i) Postgraduate Degree in Economics/ Commerce/ Business Administration with at least 2<sup>nd</sup> Division or Bachelor Degree in Engineering or Technology with 1<sup>st</sup> division from a recognized University; and</li> <li>(ii) minimum two years experience at supervisory level in manufacturing sector in a Small, Medium or Large Industry/ Semi Government/ Government Undertaking / Department; and</li> <li>(iii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>	<ul> <li>(Headquarter), Industrial Extension Officer (District Industries Centre).</li> <li>By Transfer/ Deputation:-</li> <li>(i) Candidate already holding the post of Assistant Director (Industrial Promotion) for at least one year; and</li> <li>(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>
2.	Assistant Director (Projects)	<ul> <li>(i) Bachelor Degree in Engineering or Technology with 1<sup>st</sup> division from a recognized University, with minimum two years experience at supervisory level in manufacturing sector in a Small, Medium or Large Industry/ Semi Government/ Government Undertaking/ Department; and</li> <li>(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>	<ul> <li>By Promotion:-</li> <li>(i) B. Sc. (Non-medical) or diploma/degree in Engineering or Technology from a recognized University; and</li> <li>(ii) Eight years experience as Industrial Extension Officer (Headquarter), or Industrial Extension Officer (District Industries Centre);</li> <li>By Transfer/ Deputation:-</li> <li>(i) Candidate already holding the post of Assistant Director (Projects) for at least one year; and</li> <li>(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>
3.	Assistant Director (Statistics)	<ul> <li>Masters Degree in Economics/ Commerce/ Mathematics / Statistics (with at least 2<sup>nd</sup> division) or Chartered Accountant or Company</li> </ul>	By Promotion:- (i) Bachelor Degree in Economics/ Commerce/Statistics/ Mathematics from recognized University; and

.

1

-

Serial	Description of	Academic qualification and Academic qualification experience if
Number	posts	experience for direct recruitment any for appointment other than by direct recruitment
	•	Secretary or Chartered Financial Analyst (CFA) from recognized University/ Institution, with minimum two years experience at supervisory level in manufacturing sector in a Small, Medium or Large Industry/ Semi Government/ Government Undertaking/ Department; and (ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education. (ii) Eight years experience as Industrial Extension Officer (Headquarter) or Industrial Extension Officer (District Industries Centre). By Transfer/ Deputation:- (i) Candidate already holding the post of Assistant Director (Statistics) for at least one year; and (ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher
4.	Assistant Director (Technical)	<ul> <li>(i) Bachelor degree in Engineering or Technology in Electrical/ Mechanical/ Electronics with 1<sup>st</sup> Division from recognized university /institution with minimum two years experience at supervisory level in manufacturing sector in a Small, Medium or Large Industry/ Semi Government / Government Undertaking/ Department; and</li> <li>(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> <li>(i) B. Sc. (Non-medical) or diploma/degree in Electrical or Mechanical or Electronics Engineering or Technology; and</li> <li>(ii) Eight years experience as Technical Assistant (Mechanical), Technical Assistant (Electrical) or Operator Grade-I.</li> <li>By Transfer/ Deputation:- (i) Candidate already holding the post of Assistant Director (Technical) for at least one year; and</li> <li>(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>
5.	Assistant Director (Textiles)	<ul> <li>(i) Bachelor degree in Engineering or Technology in Textiles with 1<sup>st</sup> Division from recognized institution/university with minimum two years experience at supervisory level in manufacturing sector in a Small, Medium or Large Industry/ Semi Government / Government Undertaking/ Department; and</li> <li>By Promotion: Eight years experience as Technical Assistant (Textiles).</li> <li>By Transfer/ Deputation:- (i) Candidate already holding the post of Assistant Director (Textiles) for at least one year; and</li> <li>Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>

.

1424

.

HARYANA	GOVT. GA	٩Z.	(EXTRA	.), AUG.	12,	2014
	(SRVN.	21.	1936 S/	AKA)		

Serial	Description of	Academic qualification and	Academic qualification experience if		
Number	posts	experience for direct recruitment	any for appointment other than by direct recruitment		
		(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.			
6.	Assistant Director (Chemical)	<ul> <li>(i) Bachelor degree in Engineering or Technology in Chemical with 1<sup>st</sup> Division from recognized institution/university with minimum two years experience at supervisory level in manufacturing sector in a Small, Medium or Large Industry/Semi Government /Government Undertaking/ Department; and</li> <li>(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>	Eight years experience as Technical Assistant (Chemical) or Operator Grade-I. By Transfer/ Deputation:- (i) Candidate already holding the		
7.	Assistant Director- cum- Inspector of Boilers	<ul> <li>(i) A degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognized University or equivalent; and</li> <li>(ii) Two years experience as a technical personnel in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 and rules and regulations framed there under; and</li> <li>(iii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>	<ul> <li>By Transfer/ Deputation:- <ul> <li>(i) Candidates already holding the post of Assistant Director-cum-Inspector of Boilers for at least one year; and</li> <li>(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul> </li> </ul>		
	Assistant Director (Legal)	<ul> <li>(i) Bachelor of Law with at least 2<sup>nd</sup> Division from a recognized University; and</li> <li>(ii) Minimum three years experience in a reputed Law Firm or Government organization/ Government agencies in conducting matters relating to the Land Acquisition</li> </ul>	<ul> <li>By Promotion:- Five years experience as Legal Assistant.</li> <li>By Transfer/ Deputation:-</li> <li>(i) Candidate already holding the post of Assistant Director (Legal) for at least one year; and</li> </ul>		

.

Serial	Description of	Academic qualification and	Academic qualification experience if
Number	posts	experience for direct recruitment	any for appointment other than by direct recruitment
		Act, 1894 or Society	(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit
		Registration Act, 1860 and	up to Matric Standard or higher
		Indian Partnership Act, 1932;	education.
		(iii) Knowledge of Hindi or Sanskrit	
ļ		up to Matric Standard or higher education.	
9.	Superintendent		By Promotion:-
	(Headquarter)		One year experience as Deputy
			Superintendent (Headquarter).
			By Transfer/ Deputation:-
			<ul> <li>(i) Candidate already holding the post of Superintendent for at least one year; and</li> </ul>
			(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit
			up to Matric Standard or higher education.
10	Superintendent		By Promotion:-
	(District		One year experience as Deputy
	Industries Centre)		Superintendent (District Industries Centre).
	-		By Transfer/ Deputation:-
			(i) Candidate already holding the
			post of Superintendent for at least one year; and
			<ul> <li>(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.</li> </ul>
11	Private		By Promotion:-
	Secretary		One year experience as Personal Assistant
			By Transfer/ Deputation:-
			<ul> <li>(i) Candidate already holding the post of Private Secretary for at least one year; and</li> </ul>
			(ii) Knowledge of Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or higher education.

1426

-

٠

...

. ...

## APPENDIX C

(See rule 15 (1))

S <del>c</del> rial Number	Designation of the posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1.	Assistant Director (Industrial Promotion)	Government	Minor Penalties- (i) Warning with a copy in the personal file (Character roll);	Director	Government
2.	Assistant Director (Projects)		(ii) Censure;		
3.	Assistant Director (Statistics)		(iii) Withholding of promotion;		
4	Assistant Director (Technical)		(iv) Recovery from pay of the		
5	Assistant Director (Textile)		whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of	۰.	
6.	Assistant Director (Chemical)		orders, to the Central Government or a State Government or to a		
7.	Assistant Director -cum-Inspector of Boilers		Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or		
8.	Assistant Director (Legal)		substantially owned or controlled by the Government or to a local		
9.	Superintendent (Headquarter)		authority or University set up by as Act of Parliament		
10.	Superintendent (District Industrics Centre)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	or of the Legislature of State; .	ſ	-
11.	Private Secretary		<ul> <li>(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect;</li> </ul>		

ŧ

...

r-m. .

Serial Number	Designation of the posts	Appointing euthority	Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority
		.*	<ul> <li>Major Penalties-</li> <li>(vi) With holding of increment of pay with cumulative effect.</li> <li>(vii)Reduction to lower stage in time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will carn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;</li> <li>(viii) Reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;</li> </ul>	Government	Government

1428

· .

Serial Number	Designation of the posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority
			(ix) Compulsory retirement;		
			(x) Removal from service which shall not be a disgualification for future employment under the Government; and		
			(xi) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for further employment under the Government.		

. . . . . . . . . . .

1429

٠,

## APPENDIX D

(See rule 15 (2))

Serial Number	Designation of the posts	Nature of order	Authority empowered to make the order
1.	Assistant Director (Industrial Promotion)	(i)reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules	Government
2.	Assistant Director (Projects)	governing pension.	,
3.	Assistant Director (Statistics)	(ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed	
4	Assistant Director (Technical)	for superannuation.	
5	Assistant Director (Textile)		
б.	Assistant Director (Chemical)		
7.	Assistant Director- cum-Inspector of Boilers		
8.	Assistant Director (Legal)		•
9.	Superintendent (Headquarter)		
10.	Superintendent (District Industries Centre)		
11.	Private Secretary.		

## Y.S. MALIK, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Industries and Commerce Department.

52553-L.R.-H.G.P., Chd.